प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 14.08.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 14.08.2026 को अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना-इकदिल

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्ता को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- थाना इकदिल क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 130 ग्राम नाजायज नसीला पाउडर बरामद होने के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर **मु0अ0सं0 179/2021 धारा 21/22 एनडीपीएस में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री अवधेश कुमार** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 मुलायम सिंह व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री योगेन्द्र परिहार द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 14.08.2026 को अन्तर्गत धारा 21/22 एनडीपीएस में मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **फरा पुत्री असलम डागर निवासी आजाद नगर टीला थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा।**